कार्यालय – प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, सुलतानपुर।

पत्रांक : डायट/वि0बी0टी0सी0 08/15813 /2009–10 दिनांक – 18-1-10

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 के सन्दर्भ मे निर्गत शासनादेश 1186/15–11–2008 शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ दिनांक– 14.11.2008 एवं निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक : राशै0/23724–962/IV-छ:/2008–09 दिनांक 01.01.2009 के आदेश के अनुपालन मे जनपद **सुलतानपुर** हेतु निर्धारित 340 सीटों के सापेक्ष अर्ह/चयनित अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित श्रेणियों में रिक्त सीटों की पूर्ति हेतु सप्तम अनन्तिम चयन सूची जो "List of candidates for original documents submission" है, निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट आफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट् पर चस्पा है। सप्तम अनन्तिम चयन सूची बेबसाइट पर भी उपलब्ध है । अभ्यर्थी website – http:// sultanpur.nic.in पर अथवा www.scertup.org के Home Page पर बने Link "Seventh Interim Select List SBTC 2008 " "सप्तम अनन्तिम चयन सूची" पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं । सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंक–पत्र व प्रमाण–पत्र, जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/शिक्षामित्र सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग तथा रू0 **10/– के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो)** के साथ मेरिट के आधार पर दिनॉक –16.01.2010 से 23.01.2010 के मध्य कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 से 05:00 बजे संस्थान में मूल प्रमाण–पत्र जमा करने हेतु उपस्थित हों।

सप्तम अनन्तिम चयन सूची की कट ऑफ मेरिट का विवरण

वर्ग / श्रेणी का नाम	कट ऑफ मेरिट
पुरूष / अन्य पिछड़ा वर्ग / कला	**249.72**

वर्ग / श्रेणी का नाम	कट ऑफ मेरिट
पुरूष / अन्य पिछड़ा वर्ग / विज्ञान	**235.67**

नोट–

1. यह अनन्तिम चयन सूची माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं किसी लिपिकीय त्रुटि संधान के अधीन होगी ।
2. जारी की गयी अनन्तिम चयन सूची किसी भी रूप मे अन्तिम चयन सूची नहीं है तथा रिशफलिंग एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों के निर्गमन संस्था से सत्यापन के अधीन होगी ।
3. यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को मूल प्रमाण–पत्र जमा करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए वरीयता कम मे अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
4. भविष्य में बैंक ड्राफ्ट को बैंक में प्रस्तुत करने पर यदि बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण संस्था की एन0सी0टी0ई0 से मान्यता संबन्धी साक्ष्य/प्रमाण अपने साथ अवश्य लायें ।
6. षष्टम अनन्तिम सूची के छूटे हुए अभ्यर्थी उक्त तिथियों में उपस्थित होकर अपना मूल प्रमाण पत्र जमा कर सकतें हैं।
7. उक्त सूची के सम्बन्ध में अभ्यर्थी दिनांक – 16.01.2010 से दिनांक – 23.01.2010 के मध्य कार्यालय दिवस में व्यक्तिगत् रूप से उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सम्बन्धित श्रेणी में कट आफ मेरिट के अन्तर्गत होने पर अपने मूल प्रमाण–पत्रों की जॉच/जमा करा सकते है ।
8. रिक्ति के सापेक्ष अधिक प्रमाण–पत्र जमा करने की दशा में वरीयता कम में रिक्त सीटों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थियों का चयन करने के पश्चात शेष अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्र दिनॉक – 25.01.2010 को अपराहन वापस कर दिए जाएंगें।

18.01.10
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
सुलतानपुर।